

>

Title: Introduction of the Powerloom Sector (Welfare) Bill, 2013.

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पावरलूम सेक्टर के बुनकरों, कर्मकारों और लघु उद्यमियों के संरक्षण और कल्याण के उपायों और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection and welfare of the weavers, workers and small entrepreneurs engaged in powerloom sector and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।
